BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1050 OF 2024

IN THE MATTER OF:-

Ritisha Gond **……………. Applicant**

Versus

Union of India and others **……………Respondents**

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 17, M/S SAI BABA STONE WORK

1.	**COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 17, M/S SAI BABA STONE WORK**	1-8
2.	**ANNEXURE C/1. A copy of the said letter dated 12.05.2015**	9
3.	**ANNEXURE C/2. A copy of the NOC dated 21.05.2015, issued by the Mines Officer,**	10-13
4.	**ANNEXURE C/3 A copy of the mining lease grant letter dated 04.01.2016**	14-16
5.	**ANNEXURE C/4 A copy of the environmental clearance letter dated 18.05. 2016**	17-23
6.	**ANNEXURE C/5. A copy of the lease agreement**	24-53
7.	**ANNEXURE C/6 A copy of the said letter dated 16.09.2020.**	54
8.	**ANNEXURE C/7. A copy of the GST Certificate**	55-57
9.	**ANNEXURE C/8. A copy of the said NOC No. NOC022406**	58-60

SHASHANK SINGH
ADVOCATE FOR RESPONDENT

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1050 OF 2024

IN THE MATTER OF:-

Ritisha Gond **……………. Applicant**

Versus

Union of India and others **……………Respondents**

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 17, M/S SAI BABA STONE WORK

PRELIMINARY SUBMISSIONS:

1. That the facts, grounds averments taken in the present petition filed by the Applicant are denied categorically and none of the statements/facts stated under the petition is denied to be admitted unless admitted specifically.
2. That the present petition filed by the Applicant is devoid of specific allegations and contains generalized claims against all mining leaseholders in District Sonbhadra, Uttar Pradesh. Respondent No. 17 has been unnecessarily implicated without any evidence.
3. That the Original Application filed by the Applicant contains vague and unsubstantiated allegations aimed generally against all mining

leaseholders in District Sonbhadra, Uttar Pradesh. Respondent No. 17 has been wrongfully implicated without any evidence of wrongdoing.

4. That the answering Respondent has complied with all statutory and regulatory requirements for the operation of its mining lease. Respondent No. 17 has always adhered to applicable environmental norms and laws and has never engaged in any illegal or unauthorized activity.

5. That Respondent No. 17 is a leaseholder for Dolostone mining on Arazi No. 5414G, Village Billi Markundi, Tehsil Robertsganj, District Sonbhadra. The mining lease was granted after thorough inspection, scrutiny, and clearance from competent authorities.

6. That the Forest Officer of the Kaimur Wildlife Department, in a letter dated May 12, 2015, confirmed after an inspection conducted on February 11, 2015, that the mining area is located 4.380 km away from the nearest wildlife sanctuary boundary. As a result, the Hon'ble Supreme Court's order prohibiting mining within 1 km of a national park or wildlife sanctuary boundary does not apply to the answering Respondent.

A copy of the said letter dated 12.05.2015 is annexed herewith as **ANNEXURE C/1**. 9

7. That a No Objection Certificate (NOC) was issued by the Forest Department, pursuant to a detailed inspection conducted under the chairmanship of the Sub-Divisional Forest Officer, Chopan. The inspection was based on a joint report prepared by the Mines Officer and other competent authorities.

   A copy of the NOC dated 21.05.2015, issued by the Mines Officer, is annexed herewith as **ANNEXURE C/2**. 10-13

8. That the District Magistrate, Sonbhadra, granted the mining lease for a period of 10 years on January 4, 2016, for Dolostone mining on Arazi No. 5414G, Village Billi Markundi, subject to compliance with all statutory conditions.

   A copy of the mining lease grant letter dated 04.01.2016 is annexed herewith as **ANNEXURE C/3**. 14-16

9. That the District Level Environmental Impact Assessment Authority, Sonbhadra, granted environmental clearance for the project on 18.05.2016, under Category B2 as per MoEF Notifications dated January 15, 2016, and January 20, 2016. This clearance was subject to compliance with specific conditions outlined therein.

A copy of the environmental clearance letter dated 18.05.2016 is annexed herewith as **ANNEXURE C/4**. 17-23

10. That the mining lease agreement between the answering Respondent and the Government of Uttar Pradesh was executed on May 31, 2016, for a 10-year period ending on May 30, 2026.

    A copy of the lease agreement is annexed herewith as **ANNEXURE C/5**. 24-53

11. That, in accordance with regulatory requirements, GPS readings for the approved mining lease area were submitted on 16.09.2020, via Letter No. 1876/Mineral/Mining-GPS Reading/2020-20.

    A copy of the said letter dated 16.09.2020 is annexed herewith as **ANNEXURE C/6**. 54

12. That Respondent No. 17 possesses a valid GST registration under GSTIN 09ADFFS0408N2ZT, issued on 09.02.2022.

    A copy of the GST Certificate is annexed herewith as **ANNEXURE C/7**. 55-57

13. That the answering Respondent has also obtained a valid No Objection Certificate (NOC) No. NOC022406, for the industrial use of groundwater, valid from 25.09.2023, to 24.09.2028.

A copy of the said NOC No. NOC022406 is annexed herewith as **ANNEXURE C/8**. 58-60

14. That the Applicant has raised generalized concerns against mining leaseholders in the region without providing specific evidence against Respondent No. 17. The allegations are vague, speculative, and lack factual foundation.

15. That the FIR referenced by the Applicant (FIR No. 0100 of 2023) does not name Respondent No. 17. The allegations pertain to other leaseholders, and there is no evidence to suggest any involvement of Respondent No. 17 in the alleged illegal activities.

16. That Annexure-5 of the Petition refers to media reports discussing penalties imposed on certain mining leaseholders. However, Respondent No. 17 is not mentioned in these reports, nor has it received any penalties or notices from the authorities.

17. That the letter dated 04.09.2023, issued by the Forest Officer regarding a complaint from Shri Kamlesh Singh (IGRS Complaint No. 40020023011517), does not implicate Respondent No. 17 in any illegal mining activities.

18.That the allegations raised in a letter dated 06.06.2024 (Page 254 of the Petition), are speculative and lack specific instances of wrongdoing by Respondent No. 17.

19.That Respondent No. 17 has maintained compliance with all environmental, regulatory, and legal requirements. It has never been subject to any penalties or adverse findings from the authorities regarding its mining operations.

20.That Respondent No. 17 conducts its operations responsibly, adhering to all conditions imposed by the authorities, and has taken all necessary measures to prevent environmental degradation.

21.In conclusion, the allegations made by the Applicant against Respondent No. 17 are baseless, unfounded, and legally incorrect. Respondent No. 17 has adhered to all legal and regulatory requirements, and there is no evidence to suggest any involvement in illegal mining or violations of the law. Therefore, the present petition should be dismissed with respect to Respondent No. 17.

PRAYER:

In light of the above submissions, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

a) Dismiss the Original Application No. 1050 of 2024 filed against Respondent No. 17, M/s Sai Baba Stone Works Pvt. Ltd.

b) Pass any other order or direction that this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice.

SHASHANK SINGH
ADVOCATE FOR RESPONDENT

S No. 3130 Year 2024

NOTARIAL NOTARIAL

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ORIGINAL JURISDICTION
ORIGINAL APPLICATION NO. 1050 OF 2024

IN THE MATTER OF:

RITISHA GOND ... **PETITIONER**

VERSUS

UNION OF INDIA ... **RESPONDENT**

AFFIDAVIT

I,__ ANJU RAI, R/o BILLI MARKUNDI , PARGANA AGORI, OBRA SONBHADRA 231219____. presently at ______________ do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the Respondent No 17 in the above noted matter. I am conversant with the facts of the case, and in such capacity, competent to Swear this Affidavit. I therefore competent to swear the present affidavit
2. That I have read over the accompanying Counter Affidavit pages_____to______ I.A.s., and the same has been explained to me and the contents of the petition which are true and correct to the best of my knowledge and believe.
3. That I state that the accompanying annexures and application are true copies of their respective originals.

M/s Sai Baba Stone Works
Shabnam Perveen
Partner

VERIFICATION:-

Verified at ____________ on this the _________day of _______, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief. Nothing false has been stated therein or material concealed therefrom.

DEPONENT

M/s Sai Baba Stone Works
Shabnam Perveen
Partner

NOTARY D.K. Srivastava Distt.-Varanasi Regn. No.-17885 GOVT. OF INDIA 25/9/24

स्वयं शपथकर्ता ने शपथ ग्रहण किया
Oathed by deponent before me
प्रस्तुति द्वारा अधिवक्ता श्री S. Singh
Councelled by Advocate Shri........
आज दिनांक.........समय..........AM/PM

डी.के. श्रीवास्तव, एडवोकेट
Notary Govt. of India
Regn. No. 17885
25/9/24

Annexure C1
C)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्रांक [illegible] दिनांक, मिर्जापुर,मई 12- 2015

सेवा में,

सहा0 भूवैज्ञानिक /
प्र0 खान अधिकारी
सोनभद्र।

विषय: खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त वन अनापत्ति प्रमाण [illegible] के सम्बन्ध में।

सदर्भ: आपका पत्रांक 1236 / खनिज / सीमाकन / 2015, दिनाक 02--02--2015.

महोदय,

[illegible] संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि जनपद सोनभद्र के तहसील राबर्टसगंज स्थित ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या--5414ग रकबा 1.770है0 (4.37 एकड़) क्षेत्र, जो [illegible] आता है, पर गिट्टी / बोल्डर (डोलो स्टोन) का खनन पट्टा हेतु दिनांक 11--02--2015 को प्रश्नगत क्षेत्र का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण / सर्वेक्षण वन विभाग, राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र की वन्य जीव विहार से दूरी के सम्बन्ध में वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क--सोनभद्र एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, गुर्मा द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार आवेदित स्थल, वन्य जीव विहार की सीमा से लगभग 4.830 किमी0 दूरी पर स्थित है। मा0 उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 04--08-2006, जो राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहार की सीमा से 01 किमी0 की दूरी तक खनन प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में है, जबकि आवेदित स्थल वन्य जीव विहार की सीमा से 01 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(भारत लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर।

संख्या-- टी0सी0 146 / 23-1-2-- समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा--सोनभद्र को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार चुर्क--सोनभद्र को उनके पत्र संख्या--586 / 23--1--2 दिनांक 11--05--2015 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, गुर्मा रेंज सोनभद्र [illegible] दिनांक 07--05-2015 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः--मानचित्र मूल में।

(भारत लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर।

Mzp new

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।
पत्रांक - 4885 / ओबरा / 15 खनन, दिनांक:ओबरा 2 [illegible] 2015.

Annexure C2

सेवा में,

जिलाधिकारी
सोनभद्र।

विषयः— खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— खान अधिकारी, सोनभद्र का पत्रांक [illegible] अना० प्रमाण पत्र / 2015 दिनांक—25.04.2015

महोदय,

खान अधिकारी, सोनभद्र के उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ सलग्न अभिलेखो एवं मौके की जांच उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन की अध्यक्षता मे करायी गयी। उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन ने अपने पत्र संख्या—114 / चोपन / 15—खनन दिनांक- 13.05.2015 द्वारा संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत करने की संस्तुति की गयी है। उप प्रभागीय वनाधिकारी चोपन के उक्त पत्र द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं संस्तुति के आधार पर ग्राम—बिल्ली मारकुण्डी के आराजी गाटा संख्या—5414ग रकबा 1.391है0 (3.43 एकड़) क्षेत्र पर गिट्टी / बोल्डर का ~~खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु~~ अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर निर्गत किया जाता है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली व भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अद्यतन (Up To Date) दिये गये दिशा—निर्देश के अनुसार खनन हेतु निर्धारित न्यूनतम निर्धारित दूरी के सम्बन्ध में आरक्षा प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर (जिनके अधीनस्थ कैमूर वन्य जीव विहार है) से प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टा स्वीकृत किया जाय तथा पट्टाधारक / आवेदक को इस पत्र के साथ सलग्न शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। [illegible] पत्र का वन विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति मे पुन संयुक्त [illegible] सीमा [illegible] सीमा निर्धारण किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित शर्तो / प्रतिबन्धो का उल्लंघन होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा इस पत्र के साथ संलग्न शर्तो के अनुपालन करने के उपरान्त खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है, तो उसकी प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय

(राम अवतार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।

संख्या — अ / समदिनांकित।
प्रतिलिपि—उप प्रभागीय वनाधिकारी चोपन को उनके पत्र संख्या—114 / चोपन / 15 खनन दिनांक—13.05.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राम अवतार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।

F/New Folder/kh

427 **11**

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा सोनभद्र।

पत्रांक - 4885 / ओबरा / 15—अना0, दिनांक:ओबरा 21-05- 2015.

खनन / परिवहन के अनुज्ञा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम—बिल्ली मारकुण्डी के आराजी गाटा संख्या— [illegible] रकवा 1.391हे0 (3.43 एकड़) क्षेत्र पर निम्न शर्तों के अधीन गिट्टी / बोल्डर के खनन / परिवहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

1. भारतीय वन अधिनियम 1927 के विभिन्न प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
3. मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली व भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये अद्यतन (Up To Date) दिशा—निर्देश का अनुपालन में कैमूर वन्य जीव विहार से न्यूनतम दूरी के सम्बन्ध में आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर [illegible] / जिलाधिकारी को प्राप्त कराया जायेगा।
4. शासनादेश संख्या 304 / 18—11—98—29 / 98 दिनांक [illegible] के पैरा—1 व 2 तथा सहपठित शासनादेश संख्या—1225 / 10—11—98—87 / 98 दिनांक 21.04.1998 एवं 1954 / 18—11—98— 29 / 98 दिनांक 23.04.1998 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
5. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
6. पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी सभी नियमों व प्राविधानों का पालन किया जायेगा।
7. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1991 एवं 2002 के सभी नियमों व प्राविधानों का पालन किया जायेगा।
8. यदि किसी कारण से स्वीकृत लीज अवधि में आप द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो अवधि विस्तार मान्य नहीं होगा।
9. किसी भी दशा में स्वीकृत लीज को पट्टेधारक द्वारा किसी अन्य को कार्य करने हेतु नहीं दिया जायेगा। यदि दिया जाता है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझी जाय।
10. अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित किसी शर्तों का उल्लंघन वन विभाग द्वारा पाया जाता है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही करनें हेतु जिलाधिकारी को लिख दिया जायेगा।
11. खनन क्षेत्र / पट्टा क्षेत्र का सीमांकन कार्य सीमा स्तम्भ को मौके पर राजस्व / वन विभाग एवं खान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सीमाकन करते हुये फिक्स करके किया जायेगा। जिसके उपरान्त ही एम0एम0 11 निर्गत किया जायेगा।
12. परिवहन हेतु वन क्षेत्र / वन मार्ग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जायेगा।
13. वन अपराध होने की दशा में खनन एवं परिवहन कार्य रोक देने का अधिकार वन विभाग को होगा।
14. वन विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा किसी भी समय जाच के लिए मांगे गये अभिलेखों को पट्टा धारक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
15. वन अधिनियम में किसी भी प्रकार का संशोधन कालांतर होने पर उल्लिखित शर्तों में संशोधन करने अथवा समाप्त करने का अधिकार वन विभाग को होगा।
16. अनुज्ञा पत्र / पट्टा की अवधि समाप्त होते समय नवीनीकरण के पहले वन विभाग से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
17. पट्टा धारक को खनन के अतिरिक्त सम्मिलित भूमि को अन्य किसी प्रयोजन में लाने का अधिकार नहीं होगा और न तो उस भूमि अथवा अनुज्ञा पत्र को किसी अन्य को हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा।
18. स्थानीय ढुलान हेतु एम0एम0 11 जारी किया जाना आवश्यक होगा।

—पेज 2 पर—

द्वारा किसी भी समय खनन क्षेत्र/पट्टा क्षेत्र का

19 वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों [illegible] पट्टा धारक द्वारा पूर्ण

मौका मुआयना व फील्ड जांच किये जाने का [illegible]

सहयोग किया जायेगा।

20 पट्टा धारक द्वारा सम्बन्धित खनन क्षेत्र/पट्टा क्षेत्र में खनन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा एवं श्रमिक कल्याण सम्बन्धित सभी नियमों/प्राविधानों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21 उल्लिखित शर्तों एवं तदविषयक अन्य सम्बन्धित नियमों/अधिनियमों एवं प्राविधानों का उल्लंघन होने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

22 वन विभाग को [illegible] नियमों/अधिनियमों एवं प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने/वापस लेने/संशोधन करने तथा अन्य [illegible] जोड़ने का पूर्ण अधिकार होगा।

23 जिला प्रशासन एवं खनन विभाग भी अपनी तरफ से यह सुनिश्चित करेगा कि खननकर्ता द्वारा सभी शर्तों, नियमों एवं अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

24 किसी भी मा0 न्यायालय के आदेश अथवा शासनादेश से यदि आवेदित भूमि के स्वामित्व एवं प्रकृति में परिवर्तन होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

25 खनन पट्टा स्वीकृत करते समय आवेदक द्वारा 50,000.00 (पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग के पदनाम से बन्धक देना होगा जो उक्त पट्टाधारक द्वारा कोई अवैध खनन किये जाने पर जब्त कर लिया जायेगा।

26 भू वैज्ञानिक द्वारा वास्तविक रूप से उपलब्ध बालू की मात्रा के अनुसार एम0एम0 11 जारी किया जाय, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार बालू की मात्रा उपलब्ध न होने पर एम0एम0 11 की आड़ में अन्य क्षेत्र से बालू/मोरम का खनन किया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी भू–वैज्ञानिक/खनन विभाग की होगी।

27 पट्टाधारक द्वारा खनन/परिवहन कार्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य ही किया जायेगा।

28 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र पट्टा अवधि तक वैध्य होगा। यदि शर्तों का पालन नहीं किया जायेगा या किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त मानी जायेगी, जिसकी सूचना तत्समय सम्बन्धित पट्टेधारक को दे दी जायेगी।

29 खनन कर्ता द्वारा 100 पौध वर्षाकाल 2014 में सार्वजनिक भूमि/ग्राम समाज भूमि में रोपित कराना होगा।

30 शासनादेश संख्या 728(3)/14–2–2008–65/2004–टी0सी0, दिनाक–20.02.2008 के क्रम में आख्या के अनुसार प्रश्नगत आराजी गाटा संख्या वन भूमि से 100 मीटर परिधि से दूर है।

31 सम्बन्धित आराजी गाटा संख्या वन भूमि से 100 मीटर से बाहर है।

32 यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र केवल उसी क्षेत्र के लिए मान्य होगा जिसके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया और परिवहन अनुज्ञा पत्र उसी क्षेत्रफल व सीमा क्षेत्र के लिए निर्गत किया गया है। इससे इतर किये गये खनन को अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा।

33 स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करते हुए स्थल पर मौजूद वृक्षों को यथावत रहने दिया जायेगा तथा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

34 खनन स्थल के आस–पास स्थित वृक्षों एवं वन्य जीवों को हानि नहीं पहुँचायी जायेगी।

35 यदि खनन स्थल नदी क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है तब नदी का बहाव परिवर्तित होने के कारण परिवर्तित स्थल से खनन हेतु पुनः अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

36 उ0प्र0 इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 यथा संशोधित 2004 के अनुसार अभिवहन शुल्क सम्बन्धित/पट्टा धारक को नियमानुसार वन विभाग को देय होगा। बिना वन बैरियर पर जांच कराये, कोई भी वन उपज का अभिवहन नहीं किया जायेगा।

–पेज 3 पर–

F/New Folder/kh

37 यदि परिवहन वन भूमि से होकर किया जाता है तो नियमानुसार वन मार्ग शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

38 शासनादेश संख्या–1483 (3)/14–2–08–65/2004–टी0सी0–3, दिनांक--04.06.2008 के अनुसार निम्नलिखित शर्त का भी अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा–

"खनन पट्टा प्राप्तकर्ता द्वारा जितने क्षेत्रफल मे खनन किया जा रहा है उतने क्षेत्रफल में अथवा न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति के दो सौ फलदार एव छायादार वृक्षों का रोपण सिंचाई एवं फेन्सिंग के साथ अपने निजी स्रोतों से करेंगे। एक एकड़ या उससे अधिक [illegible] लगाया जाना होगा। एक एकड़ से अधिक होने पर प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त 200 वृक्ष लगाने होंगे, जो पूर्णांक में होगा"।

38. उपरोक्त उल्लिखित शर्तो में यदि किसी भी शर्त तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देशो का उल्लघन यदि पट्टाधारक द्वारा किया जाता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जायेगी।

(राम अवतार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

F/New Folder/kh

Annexure

C3

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1516 / खनिज / 2015 दिनांक 04/01/2016

आदेश

मे0 साई बाबा स्टोन वर्क्स
पा0–श्रीमती अंजू राय पत्नी श्री धीरज राय
निवासिनी ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी, जनपद–सोनभद्र
एवं श्रीमती शबनम परवीन पत्नी श्री नीसार अहमद
निवासिनी–प्रीतनगर, चोपन, जनपद–सोनभद्र।

शासनादेश संख्या–3761 / 86–2014–278 / 2011 दिनांक 12.12.2014 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद–सोनभद्र के तहसील–रावर्ट्सगंज स्थित ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या–5414ग में रकबा–3.43 एकड़ क्षेत्र पर गिट्टी / बोल्डर (डोलो स्टोन) के 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने के निमित्त इस कार्यालय के पत्र संख्या–836 / खनिज / 2015 दिनांक 07.09.2015 द्वारा प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया था, जिसके सन्दर्भ में शासकीय पत्र संख्या–3239 / 86–2015–276 / 2015 दिनांक 21.09.2015 द्वारा ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या–5414ग में रकबा–3.43 एकड़ क्षेत्र पर 10 वर्षीय गिट्टी / बोल्डर (डोलो स्टोन) के खनन पट्टे की स्वीकृति के निमित्त शासन द्वारा कतिपय शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गयी है जिसमें से महत्वपूर्ण शर्ते निम्नवत् है:–

1. शासनादेश संख्या–2430 / 86–2015–278 / 2011, दिनांक 14.07.2015 द्वारा यथा अधिसूचित / प्रख्यापित उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (अड़तीसवां संशोधन)नियमावली, 2015 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित शर्तो को पूर्ण करने एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से खनन योजना / खनन बन्दी योजना पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टा विलेख का निष्पादन किया जायेगा एवं वास्तविक खनन संक्रियाओं के संचालन की अनुमति दी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में शासन द्वारा दिया गया अनुमोदन वापस लिया गया समझा जायेगा।
2. उक्त के अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्ड पीठ तथा अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा पारित अन्य आदेशों, यदि कोई हो, के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित कर ली जाए।
3. उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 *(यथा संशोधित)* तथा उसके अधीन समय–समय पर निर्गत संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।
4. स्वीकृत खनन योजना एवं पर्यावरण विभाग से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार अन्तिम स्वीकृत पट्टा विलेख निष्पादन की कार्यवाही की जायें।
5. आवेदित क्षेत्र पर पट्टा स्वीकृत करने के पूर्व / पश्चात् खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पहले प्रश्नगत क्षेत्र का सीमांकन उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–35 व नियम–41 के प्राविधानों के अनुसार कराया जायेगा। सीमांकन के पश्चात् जो भी क्षेत्र उपलब्ध होता है उसे आवेदक स्वीकार करेगा।

.....2...

6. आवेदक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से सटे हुए आराजी संख्या अथवा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से समुचित दूरी पर खनन कार्य किया जायेगा जिससे किसी प्रकार का विवाद न हो।

7. आवेदक द्वारा खनन योजना के अनुसार पर्यावरण एवं परिस्थितिकी को ध्यान में रखकर स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा।

अतः एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से खनन योजना का अनुमोदन करा लें तथा उक्त क्षेत्र के लिए पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम–14(3) के अन्तर्गत प्रतिभूति के मद में रू0 51,450.00 एवं अपरिहार्य भाटक की प्रथम किश्त के रूप में रू0 51,450.00 तथा नियम–17 के अन्तर्गत सीमांकन शुल्क रू0 8,000.00 खनिज विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर ट्रेजरी चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करें तत्पश्चात् भारतीय स्टाम्प(उ0प्र0 संशोधन) अधिनियम संख्या–11, सन् 1992 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर, पट्टा विलेख(प्रपत्र एम0एम0–3) निष्पादित करा लें। किसी चूक के कारण यदि आप द्वारा ऐसा पट्टाविलेख निष्पादित नहीं कराया जाता है तो उक्त स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र शुल्क की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

शर्तेः–

1. प्रत्येक वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक अपरिहार्य भाटक की धनराशि से रायल्टी की धनराशि अधिक होने पर रायल्टी की धनराशि (जो उक्त क्षेत्र से पट्टा धारक द्वारा खनन कर निकासी की गई खनिज की मात्रा पर देय होती है) देय होगीं तथा रायल्टी व वार्षिक अपरिहार्य भाटक की धनराशि समय–समय पर पुनरीक्षित दरों के आधार पर देय होगीं।

2. शासनादेश संख्या–1040/86–2014–127/2011 दिनांक 10.04.2014 द्वारा दिये गये निर्देश कि "यदि पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में उल्लिखित मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन पट्टा की राय में किया जाना आवश्यक है, तब उसे अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रस्तर–2 के प्राविधानों के अनुसार ऐसी अतिरिक्त मात्रा के लिए सम्बन्धित नियामक प्राधिकारी से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति पुनः प्राप्त करनी होगी।"

3. पट्टाधारक द्वारा उनके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन कर निकासी किये गये खनिज का परिवहन सिर्फ जिला क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र द्वारा जारी प्रपत्र एम0एम0–11 द्वारा ही किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रपत्र का उपयोग किये जाने अथवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कार्य करते हुये पाये जाने एवं दोष सिद्ध होने पर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

4. पट्टाधारक नियमावली 1963 के नियम–73 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती त्रैमास के संबंध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0–12 में जिलाधिकारी और निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होने पर रू0 2,000–00 की शास्ति का भागी होगा तथा पट्टाधारक की ऐसी चूक, खनन पट्टा विलेख की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा।

5. खनन कार्य करने के दौरान यदि कोई अन्य खनिज/उपखनिज प्राप्त होता है तो उसकी सूचना पट्टाधारक तत्काल जिला कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (उ0प्र0) के क्षेत्रीय कार्यालय एवं निदेशालय को देगा।

6. पट्टाधारक को पट्टाकृत क्षेत्र में खनिज के समुचित विकास हेतु वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा हेतु खनिज/उपखनिज का खनन व निकासी करने के उपरांत क्षेत्र का समतलीकरण कर वहाँ वृक्षारोपण करना होगा।

....3...

(3)

7. स्वीकृत क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाने के बाद ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।

8. स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी काश्तकार/काश्तकारों के संक्रमणीय/असंक्रमणीय अधिकार वाली भूमि का कोई अंश पड़ने की दशा में ऐसे काश्तकार/काश्तकारों से लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही उनके अंश की भूमि में पट्टाधारक खनन कार्य प्रारम्भ करेगें।

9. पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र तक पहुँच मार्ग स्वयं के व्यय पर बनाया जायेगा। यदि खनिजों के परिवहन हेतु किसी काश्तकार की भूमि से होकर रास्ते का निर्माण किया जाता है तो सम्बन्धित काश्तकार की लिखित सहमति सम्बन्धी अभिलेख जिला क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रास्ते के निर्माण में होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10. खनन स्थल से निकाले गये खनिज पदार्थ का अभिवहन वन विभाग की लिखित सहमति के बिना वन मार्ग से नहीं किया जायेगा।

11. खनन पट्टा स्वीकृति के पश्चात भविष्य में वन विभाग या किसी अन्य विभाग द्वारा शर्तो के विपरीत कार्य करने के कारण आपत्ति किये जाने पर उक्त नियमावली 1963 के नियम 60 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।

12. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि के बाहर कोई अवैध खनन पाये जाने पर उक्त नियमावली 1963 के नियम 60 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।

13 स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर किसी प्रतिबन्धित क्षेत्र(यदि कोई हो) में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रतिबन्धित क्षेत्र में खनन पाये जाने पर नियमानुसार खनन पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्ड पीठ तथा अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगा।

16

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तद दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।
4. उपजिलाधिकारी, सदर।
5. खान अधिकारी, सोनभद्र।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

District Level Environment Impact Assessment Authority, Sonebhadra

Office of the District Magistrate. Sonebhadra
Fax: 05444-224566 E-mail: deiaasonbhadra@gmail.com

Ref. No. 18 /Parya/DEIAA/SBR/2016 Date : 18/05/2016

To,

M/s Sai Baba Stone Works
Partner Smt. Anju Rai
W/o Sri Dheeraj Rai
R/o-Billi Markundi, Teh.-Robertsganj,
And Smt. Shabanam Parveen W/o Sri Nishar Ahmad
R/o-Chopan, District-Sonebhadra, U.P.

जिला स्तरीय पर्यावरण संघात प्राधिकरण ★ सोनभद्र ★

Sub: **Regarding Environmental Clearance for proposed Dolostone Mining Project at Gata No. 5414 Ga Village-Billi Markundi, Tehsil-Robertsganj, District-Sonebhadra, U.P. (Leased Area-3.43 Acres)**

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 15/04/2016 addressed to the Chairman/Secretary, DEIAA, Sonbhadra. The District Level Committee considered the matter in its meeting held on dated 29-04-2016. A presentation was made by the consultant M/s Ind Tech House Consult, Rohini, Delhi, along with the representative of the project proponent, through documents, presentation made during meeting dated 29/04/2016 and reply to the queries raised by the DEIAA SBR, has informed to DEIAA SBR that:

1. The environmental clearance is sought for Dolostone Mining project at Gata No. 5414 Ga Village-Billi Markundi, Tehsil-Robertsganj, District-Sonebhadra, Uttar Pradesh (Leased area-3.43 acres).
2. Mining Lease area was granted by District Magistrate, Sonbhadra vide letter no.-1416/खनिज/2015 दिनांक 04.01.2016
3. 30,000 Cubicmeter Dolostone is proposed to mine annually according to approved mining plan and validity of mining plan is valid up to 5 years from the date of deed execution.
4. The water requirement will be limited to 1.12 KLD from water tanker and borewells for drinking, 7.20 KLD for sprinkling on haulage route for dust suppression and 0.50 KLD for plantation and others.
5. During operation the maximum no. of workers will not be more than 25.
6. The Project activity are not covered under general conditions, because the project belong to B2 Category, under MoEF notification dated 15/01/2016 and 20/01/2016.
7. The mining will be opencast type and carried out semi mechanized.
8. The ultimate depth of mining will be restricted to 30 mtr/water level, whichever is less.
9. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
10. Regarding the project no litigation is pending in any court.

11. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining project specified in EIA Notification 14/09/2006.
12. The Project proposal falls under B2 Category of MoEF Notification dated 15/01/2016 and 20/01/2016. Based on the above said project, the District Level Environment Impact Assessment Authority (meetings held on dated 29/04/2016) has decided to grant the Environmental Clearance to this project proposal subject to effective implementation of the following general and specific conditions:

General Conditions

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Forest clearance shall be taken by the proponent as necessary under law.
3. Any addition of the mining area, change of Khasra numbers, enhancement of capacity, change in mining technology, modernization and scope of working shall again required prior environmental clearance as per EIA notification, 2006.
4. No change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral and waste shall be made.
5. Mining will be carried out as per the approved mining plan. In case of any violation of mining plan, the Environmental Clearance given by DEIAA, SBR will stand cancelled.
6. Four ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for RSPM, SPM, SO_2, NO_x monitoring. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board. The monitored data for criteria pollutants shall be regularly up loaded on the company's website and also displayed at website.
7. Data on ambient air quality (RSPM, SPM, SO_2, NO_x) should be regularly submitted to the Regional office, MoEF, GoI, Lucknow and the State Pollution Control Board/Central Pollution Control Board once in six months.
8. Ambient air quality at the boundary of the mine premises shall confirm to the norms prescribed in MoEF notification no. GSR/826(E) dt. 16.11.2009.
9. Fugitive dust emissions from all the sources shall be controlled regularly. Water spraying arrangement on haul roads loading and unloading and at transfer points shall be provided and properly maintained.
10. Measures shall be taken for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. Workers engaged in operations of HEMM, etc. shall be provided with ear plugs/muffs and health records of the workers shall be maintained.
11. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected, treated so as to conform to the standards prescribed under GSR 422 (E) dated 19th may, 1993 and 31st December, 1993 or as amended from time to time. Oil and grease trap shall be installed before discharge of workshop effluents.

12. Personal working in areas shall be provided with protective respiratory devices like mask and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.
13. Special measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities.
14. The transportations of the materials shall be limited to day hours time only.
15. Provision shall be made for the housing the labourers within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
16. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
17. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow and State Pollution Control Board regarding date of financial closures and final approval of the project by the Concerned authorities and the date of start of land development work.
18. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies as applicable in the matter.
19. The Project Proponent has to submit half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copy to the DEIAA, SBR. on 1st June and 1st December of each calendar year.
20. The DEIAA, SBR may alter/modify the above conditions or stipulate any further conditions in the interest of environment protection.
21. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

Specific Conditions

1. Norms of Transport Department/PWD shall be strictly followed during transportation of minerals.
2. haul road shall be made motorable.
3. Forest NOC shall be obtained prior to start of work.
4. Corporate Social Responsibility (CSR) plan along with budgetary provision of 5% of the total cost shall be prepared and approved by Board of Directors of the company. A copy of resolution as above shall be submitted to the authority along with list of beneficiaries with their mobile nos./address.
5. This environmental Clearance does not create or verify any claim of applicant on the proposed site/activity.
6. This environmental clearance shall be subject to valid lease in favour of project proponent for the proposed mining proposals. In case, the project proponent does not have a valid lease, this environmental clearance shall automatically become null and void.
7. The Environmental clearance will be co-terminus with the mining lease period.

8. No two pits shall be simultaneously worked i.e. before the first is exhausted and reclamation work completed, no mineral bearing area shall be worked.

9. After exhausting the first mine pit and before starting mining operations in the next pit, reclamation and plantation works in the exhausted pit shall be completed so as to ensure that reclamation, forest cover and vegetation are visible during the first year of mining operations in the next pit. This process will follow till the last pit is exhausted. Adequate rehabilitation of mined pit shall be completed before any new ore bearing area is worked for expansion.

10. Adequate buffer zone shall be maintained between two consecutive mineral bearing deposits.

11. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.

12. Green belt development shall be carried out considering CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Agriculture Department. Herbs and shrubs shall also form a part of afforestation programme besides tree plantation. The company shall involve local people for plantation Programme. Details of year wise afforestation programme including rehabilitation of mined out area shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow and DEIAA SBR every year.

13. Blast vibration study shall be conducted and a observation report submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow and UPPCB within six months. The report shall also include measures for prevention of blasting associated impact on nearby houses and agricultural fields.

14. Controlled blasting techniques with sequential blasting shall be adopted. The blasting shall be carried out in the day time only.

15. Appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mining workers has to be ensured at the mining site.

16. Maintenance of village roads used for transportation of minerals are to be done by the company regularly at its own expenses. The roads shall be block topped.

17. Rain water harvesting shall be undertaken to recharge the ground water source.

18. Status of implementation shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, UP Pollution Control Board and DEIAA SBR within six months and thereafter every year from the next consequent year.

19. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion shall be carried out with geo textile matting or other suitable material, and thick plantation of native trees and shrubs shall be carried out at the dump slopes. Dumps shall be protected by retaining walls.

20. Trenches/garland drains shall be constructed at foot of dumps and coco filters installed at regular intervals to arrest silt from being carried to water bodies. Adequate number of Check Dams and Gully Plugs shall be constructed across seasonal/perennial nallahs, if any flowing through the ML area and silts arrested. De-silting at regular intervals shall be carried out.

21. Garland drain of appropriate size, gradient and length shall be constructed for both mine pit and for waste dump and sump capacity shall be designed keeping 50%

safety margin over and above peak sudden rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the area adjoining the mine site. Sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper setting of silt material. Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drains and de-silted at regular intervals.

22. Ground and surface water, if any in and near the core zone (within 5.0 km of the lease) shall be regularly monitored for contamination and depletion due to mining activity and records maintained. The monitoring data shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR regularly. Further, monitoring points shall be located between the mine and drainage in the direction of flow of ground water shall be set up and records maintained.

23. Fugitive dust generation shall be controlled. Fugitive dust emission shall be regularly monitored at locations of nearest human habitation (including schools and other public amenities located nearest to sources of dust generation as applicable) and records submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR regularly.

24. Baseline data for ambient air quality shall be generated and maintained and RSPM level in ambient air in the nearby human habitation (villages) shall also be monitored along with other parameters.

25. Transportation of minerals shall be done by covering the trucks with tarpaulin or other suitable mechanism so that no spillage of mineral/dust takes place.

26. Occupational health and safety measures for the workers including identification of work related health hazards, training on malaria eradication, HIV, and health effects on exposure to mineral dust etc. shall be carried out. Periodic monitoring for exposure to reparable mineral dust on the workers shall be conducted and records maintained including health records of the workers. Awareness programme for workers on impact of mining on their health and precautionary measures like use of personal equipments etc. shall be carried out periodically. Review of impact of various health measures shall be conducted followed by follow up action wherever required.

27. The project proponent will ensure for providing employment to local people as per requirement, necessary protection measures around the mine pit and waste dump and garland drain around the mine pit and waste dump.

28. Top soil/solid waste shall be stacked properly with proper slope and adequate safeguards and shall be utilized for backfilling (wherever applicable) for reclamation and rehabilitation of mined out area. Top soil shall be separately stacked for utilization later for reclamation and shall not be stacked along with over burden.

29. Over burden (OB) shall be stacked at earmarked dump site (s) only and shall not be kept active for long period. The maximum height of the dump shall not exceed 20 m, each stage shall preferably be of maximum 10 m and overall slope of the dump shall not exceed 35^0. The OB dump shall be backfilled. The OB dumps shall be scientifically vegetated with suitable native species to prevent erosion and surface run off.

जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात ... सोनभद्र

30. Monitoring and management of rehabilitated areas shall continue until the vegetation becomes self sustaining. Compliance status shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR on six monthly basis.
31. Slope of the mining bench and ultimate pit limit shall be as per the mining scheme approved by Indian Bureau of Mines.
32. Permission for abstraction of ground water shall be taken from Central Ground Water Board. Regular monitoring of ground and surface water sources for level and quality shall be carried out by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operation. The monitoring shall be carried out four times in a year i.e.-monsoon (April-May), Monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the data thus collected shall be regularly sent to MoEF, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board.
33. The waste water from the mine shall be treated to conform to the prescribed standards before discharging in to the natural stream. The discharged water from the Tailing Dam, if any shall be regularly monitored and report submitted to the Regional Office, Ministry of Environment & Forest, GoI, Lucknow, Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board.
34. Hydro geological study of the area shall be reviewed by the project proponent annually. In case adverse effect on ground water quality and quantity is observed mining shall be stopped and resumed only after mitigating steps to contain any adverse impact on ground water is implemented.
35. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transportation of minerals and others shall have valid permissions as prescribed under Central Motor Vehicle Rules, 1989 and its amendments. The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarapaulin or other suitable enclosures so that no dust particles/fine matters escape during the course of transportation. No overloading of minerals for transportation shall be committed. The trucks transporting minerals shall not pass through wild life sanctuary, if any in the study area.
36. Prior permission from the Competent Authority shall be obtained for extraction of ground water, if any.
37. A final mine closure plan, along with details of Corpus Fund, shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment & Forest, GoI, Lucknow and U.P. Pollution Control Board 5 years in advance of final mine closure for approval.
38. Project proponent shall explore the possibility of using solar energy where ever possible.
39. Commitment towards CSR has to be followed strictly.
40. Regular health chech-up record of the mine workers has to be maintained at site in a proper register. It should be made available for inspection whenever asked.
41. Project Proponent has to strictly follow the directions/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. Agencies from time to time.
42. The blasting will be done only after getting the permission from the Mining-Department.

जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण ★ सोनभद्र ★

You are also directed to ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership of the proposed site, this permission shall automatically deem to be cancelled.

The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.

The Project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance.

The DEIAA SBR/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if any conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of DEIAA SBR/MoEF. DEIAA SBR may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533 (E) dated 14-09-2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

जिला पर्यावरण संघात प्राधिकरण ★ सोनभद्र ★

Kailash 18.5.16

(Kailash Singh)
S.D.M. (Sadar),
Member-Secretary,
DEIAA Sonebhadra, U.P.

No. / /Parya/DEIAA/SBR/............/...../2016 dated as above.

Copy for information and necessary action to:

1- The Principal Secretary, Environment, Govt. of U.P., Lucknow.
2- The Principal Secretary, Geology and Mining, Govt. of U.P., Lucknow .
3- Director, Environment, Bibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.
4- Director, Geology and Mining, Lucknow.
5- District Magistrate, Sonebhadra.
6- Divisional Forest Officer, Sonebhadra .
7- Divisional Forest Officer, Kaimur Wild Life, Mirzapur.
8- Additional District Magistrate, Sonebhadra .
9- Sub Divisional Magistrate (Sadar), Sonebhadra.
10- Regional Pollution Control Officer, Sonebhadra.
11- District Mining Officer, Sonebhadra.
12- NIC Sonebhadra to upload on website.

(Kailash Singh)
S.D.M. (Sadar),
Member-Secretary,
DEIAA Sonebhadra, U.P.

-38 Annexure CS 4402 4446/18

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

25000

पच्चीस हजार रुपये

कोषागार कोड सं0-60

23 MAY 2016

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977501

प्रपत्र एम0एम0-3

खनन पट्टे का आदर्श (Model) प्रपत्र (नियम-14)

यह अनुबन्ध आज दिनांक 31-05-2016 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य-सरकार" कहा गया है, जिस पदावली में यदि सन्दर्भ से ऐसा ग्राह्य हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे) **एक पक्ष**

और मे0 साई बाबा स्टोन वर्क्स पा0-श्रीमती अंजू राय पत्नी श्री धीरज राय निवासिनी ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, तहसील-रावर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र एवं श्रीमती शबनम परवीन पत्नी श्री नीसार अहमद निवासिनी-प्रीतनगर, चोपन, तहसील-रावर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावली में यदि सन्दर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) **दूसरा पक्ष**

.....2...

Anju Rai

Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

25000 मे० साई बाबा स्टोन [illegible] की मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
23-5-2016

442

26

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977502

(2)

चूँकि पट्टेदार ने उत्तर प्रदेश उपखनिज(परिहार) नियमावली **1963** जिसे आगे **''उक्त नियमावली''** कहा गया है के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि **3–43 एकड़** के निमित्त खनन पट्टे के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और उसने राज्य सरकार के पास **रू0 1,02,900–00** (एक लाख दो हजार नौ सौ रूपये मात्र) की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा **रू0 10,000–00** (दस हजार रूपये) की धनराशि खनन पट्टे के प्रारम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिए जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये और पट्टेदार की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार को निम्नलिखित

.......3....

Anju Rai

Shabnam Parvee

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

25000 को साँई बाबा स्टोन वर्क्स बिल्ली मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
23-5-2016

पट्टा विलेख (10 वर्ष)

प्रतिफल	मालियत	औसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या
4,218,900.00			20,000.00	100	20,100.00	32

श्रीमती अंजू राय (पा0-मे0 साँई बाबा स्टोन वर्क्स)
पत्नी श्री धीरज राय
व्यवसाय गृहिणी Anju Rai
निवासी स्थायी बिल्ली मारकुण्डी पर0अगोरी तह0रा0गंज-सोनभद्र
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 2/6/2016 समय 11:11AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबन्धक
राबर्टसगंज
2/6/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री जिलाधिकारी
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्टीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

पट्टा गृहीता

श्रीमती अंजू राय (पा0-मे0 साँई बाबा स्टोन वर्क्स)
पत्नी श्री धीरज राय
पेशा गृहिणी Anju Rai
निवासी बिल्ली मारकुण्डी पर0अगोरी तह0रा0गंज-सोनभद्र

श्रीमती शबनम परवीन (पा0-मे0 साँई बाबा स्टोन वर्क्स)
पत्नी श्री निसार अहमद Shabnam Perveen
पेशा गृहिणी
निवासी प्रीत नगर चोपन तह0रा0गंज-सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

25000 पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

E 977503

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

प्रदान और पट्टान्तरित करती है। **गिट्टी/बोल्डर(डोलो स्टोन)** (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है की समस्त खाने, तल्प(Beds), संदरसीम्स (Viens) जो अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, पड़ी हो या हों, उन स्वतन्त्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनको इसके सम्बन्ध में, उन निबंधनों तथा शर्तो के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतन्त्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो **गिट्टी/बोल्डर(डोलो स्टोन)** सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतन्त्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे।

इस उपरस्थापन पत्र के निष्पादन होने के दिनांक से **दस वर्ष** (दिनांक 31-05-2016 से दिनांक 30-05-2026 तक) की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार को एतद्द्वारा दिये और पट्टान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिसमें खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के **भाग–2** में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबन्धों के अधीन हो, और, पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार के साथ प्रसंविदा करती है जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है, और, एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के **भाग–3** में अभिव्यक्त है।

.....4...

Anju Rai
Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
23-5-2016

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान धीरज राय

बशिष्ट राय

पेशा कृषि

निवासी क्वा0नं0-5B-6 ओबरा कालोनी, ओबरा-सोनभद्र

व सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय

उमाकान्त देव पाण्डेय

पेशा कृषि

निवासी लसड़ा पर0विजयगढ़ तह0रा0गंज-सोनभद्र

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबन्धक
राबर्टसगंज
2/6/2016

[illegible] [illegible]

446

30

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 330916

(5)

भाग–2

1. **इस पट्टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व, जो इनमें से अधिक हो, का भुगतान करना :-**

पट्टेदार पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक खनिज गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) के सम्बन्ध में, इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट अपरिहार्य भाटक का वार्षिक भुगतान करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व, जो धनराशि इसमें से अधिक हो, का देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं।

2. **पट्टा धनराशि की दर और उसको भुगतान करने की रीति–**

इस भाग के खण्ड (1) के उपबन्ध के अधीन रहते हुए पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित **(Demised)** भूमि के प्रति खनिज प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर पर या ऐसी संशोधित दर पर भुगतान करेगा, जो पट्टेदार को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा।

खनिज का नाम	प्रति एकड़ निर्धारित वार्षिक अपरिहार्य भाटक	पट्टान्तरित भूमि का क्षेत्रफल	कुल देय अपरिहार्य भाटक	एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5
गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन)	रू0 1,20,000.00	3.43 एकड़	रू0 41,16,000.00	रू0 4,11,600.00

अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्टावर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर जनपद–सोनभद्र के मुख्यालय के राजकीय कोषागार अथवा तदर्थ

......6...

Anju Rai

Shabnam Parveen

खान अधिकारी

जिलाधिकारी
सोनभद्र

10 ए०आर०जे० साईं बाबा स्टोन वर्क्स बिल्ली मारकुण्डी (सोनभद्र)

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
23.3.2016

पट्टा गृहीता

Registration No. : 4446 Year : 2,016 Book No. : 1

0201 अंजू राय (पा0-मे0 साँई बाबा स्टोन वर्क्स)
धीरज राय
बिल्ली मारकुण्डी पर0अगोरी तह0रा0गंज-सोनभद्र
गृहिणी

0202 शबनम परवीन (पा0-मे0 साँई बाबा स्टोन वर्क्स)
निसार अहमद
प्रीत नगर चोपन तह0रा0गंज-सोनभद्र
गृहिणी

भारतीय गैर न्यायिक

10000रु. Rs.10000

Rs.10000

10000 रु.

10000रु.Rs.10000

दस हजार रुपये

10000रु.Rs.10000

RUPEES TEN THOUSAND

Rs.10000

10000 रु.

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 330917

(6)

प्राधिकृत बैंक की शाखा (जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय) में खनिज के निर्धारित लेखा शीर्षक "0853, अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग" में जमा किया जायेगा।

3. **स्वामित्व की दर और उसके भुगतान की रीति :-**

इस भाग के खण्ड (1) के नियमों के अधीन रहते हुए पट्टेदार पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को ऐसे समयों पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार विहित करे, पट्टे पर दिये हुए क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये गिट्टी / बोल्डर के संबन्ध मे उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व का भुगतान करेगा।

4. **अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होंगे:-** इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को नियत दर पर और ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करे।

5. **स्वामित्व के संगणन की रीति**

उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनो के लिए पट्टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज / खनिजों का और उसको भेजने की रीति का सही–सही लेखा रखेगा, जिसमें वह परिवहन की प्रणाली, वाहन की निर्बन्धन संख्या, वाहन के प्रभारी व्यक्ति, **वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज का विवरण और परिमाण का उल्लेख** करेगा, जो **एम0एम0–11** में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा जो राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें। नियम 66 के अधीन अधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय–समय पर प्राधिकृत करें, स्टाक में रखे गये और निर्यात किये जाने

.....7...

Anju Rai

Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

1(5000) रु० साई बाबा [illegible] सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
23-5-2016

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 330918

(7)

वाले या प्रपत्र **एम0एम0–11** में उल्लिखित खनिज के लेखा उसके परिमाण का जॉच कर सकता है। पट्टेदार प्रतिवर्ष जिलाधिकारी और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्ववर्ती तिमाही के पन्द्रह दिनों के भीतर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में प्रपत्र **एम0एम0–12** में तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पट्टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर **रू0 2,000.00** (रूपया दो हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान करेगा ।

6. प्रपत्र एम0एम0–11 का भुगतान के आधार पर दिया जाना :–

पट्टेदार जिलाधिकारी के कार्यालय से प्रपत्र एम0एम0–11 की पुस्तिका, जैसा कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 70(1) में अपेक्षित है, छपाई मुल्य का भुगतान करने पर प्राप्त करेगा।

7. नियत समय पर अपरिहार्य भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही-

यदि पट्टेदार द्वारा इस उपस्थान पत्र के निबंधनों और शर्तो के अधीन किसी अपरिहार्य भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो वह ऐसे अधिकारी के प्रमाण–पत्र पर, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उसी प्रकार से वसूल की जा सकेगी जिस प्रकार से मालगुजारी का बकाया वसूल की जाती है।

.....8....

Anju Rai
Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-
23.5.10

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 330919

(8)

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

1. **नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तो को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है**

यदि पट्टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा और शर्त/शर्तों को भंग करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार को उक्त शर्ते भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

यदि पट्टेदार यथास्थिति, इस नियमावली या इस पट्टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह इस नियमावली के नियम 77 और 78 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।

2. **पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा :–**

पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र (प्रजेन्टेशन) के आधार पर देय किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जबतक पट्टा इस भाग के खण्ड–1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाय और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात् कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण(एरेक्शन्स) और अस्थायी

.....9...

Anju Rai
Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

105000

मुख्य रोकड़िया

23.5.2016

भारतीय गैर न्यायिक
10000रु. Rs.10000
दस हजार रुपये
RUPEES TEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

04AA 330920

आवास स्थानों को उखाड़ सकता है/सकते है और हटा सकता है, जो उक्त भूमि में या उसपर पट्टेदार द्वारा खनन किया गया हो, खड़े किये गये हो, स्थापित किये गये हो या रखे गये हो और जिन्हे पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिए इच्छुक न हो।

3. **पट्टे की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के अधिक समय तक छोड़ी गयी सम्पत्ति की जब्ती:**

यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निमार्ण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास–स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पट्टेदार से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गयी हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न हटाये जाए तो यह समझा जाऐगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गयी है और किसी प्रतिकर का भुगतान किए बिना या उसके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिए बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

4. <u>ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व एवं अपरिहार्य भाटक की वसूली करना:–</u>

यदि राज्य सरकार इस प्रकार निर्देश दे, तो पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र द्वारा संरक्षित स्वामित्वों और अपरिहार्य भाटक का भुगतान स्वामित्व की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से ऐसी अवधियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाय।

.....10...

Anju Rai
Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

250

10,000) श्री साईं बाबा स्टोन व कृषि [illegible] मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
23-5-2016

जिलाधिकारी
सोनभद्र

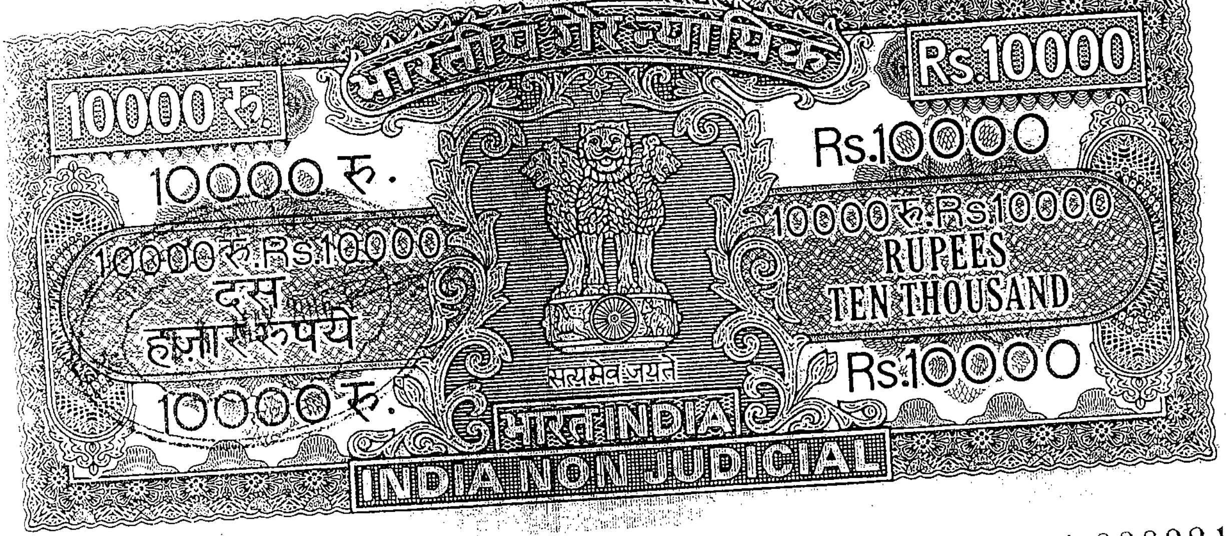

04AA 330921

(10)

5. <u>नोटिसें :–</u> इस उपस्थापन पत्र द्वारा पट्टेदार को दिये जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जायेगा, जिसे पट्टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पट्टे में उसके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जायेगी, जिसे पट्टेदार समय–समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को प्राप्त करने के लिए दे और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार पर उचित और वैध तामील समझी जायेगी और उसके सम्बन्ध में उसके द्वारा न तो आपत्ति की जायेगी और न उसे चुनौती दी जा सकेगी।

.......11...

Anju Rai

Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

250

10000) रु० साई बाबा स्टोन क्रशर बिल्ली मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
23-5-2016

10000 रु. Rs.10000
भारतीय गैर न्यायिक
दस हजार रुपये
RUPEES TEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

04AA 330922

(11)

अतिरिक्त शर्तें

1. प्रत्येक वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक अपरिहार्य भाटक से रायल्टी की धनराशि अधिक होने पर रायल्टी की धनराशि (जो उक्त क्षेत्र से पट्टा धारक द्वारा खनन कर निकासी की गई खनिज की मात्रा पर देय होती है) देय होगीं तथा रायल्टी व वार्षिक अपरिहार्य भाटक की धनराशि समय–समय पर पुनरीक्षित दरों के आधार पर देय होगीं।
2. पर्यावरण के संरक्षण हेतु पट्टाधारक को उचित प्रबंध करना होगा।
3. पर्यावरणीय अनापत्ति में उल्लिखित/अनुमोदित खनिज मात्रा के अनुसार खनन किया जायेगा।
4. शासनादेश संख्या–1040/86–2014–127/2011 दिनांक 10.04.2014 द्वारा दिये गये निर्देश कि "यदि पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में उल्लिखित मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन पट्टा की राय में किया जाना आवश्यक है, तब उसे अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रस्तर–2 के प्राविधानों के अनुसार ऐसी अतिरिक्त मात्रा के लिए सम्बन्धित नियामक प्राधिकारी से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति पुनः प्राप्त करनी होगी।
5. खनन योजना के अनुसार पर्यावरण एवं परिस्थितिकी को ध्यान में रखकर स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किय जायेगा।
6. पट्टाधारक द्वारा उनके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन कर निकासी किये गये खनिज का परिवहन सिर्फ जिला क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र द्वारा जारी प्रपत्र एम0एम0–11 द्वारा ही किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रपत्र का उपयोग किये जाने अथवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कार्य करते हुये पाये जाने एवं दोष सिद्ध होने पर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

.....12....

Anju Rai
Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

10,000 केवळ [illegible]

मुख्य रोकड़िया
कोषागार--[illegible]
23-5-2016

[illegible]

10000रु. Rs.10000

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 330923

(12)

7. पट्टाधारक नियमावली 1963 के नियम–73 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती त्रैमास के संबंध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0–12 में जिलाधिकारी और निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होने पर रू0 2,000–00 की शास्ति का भागी होगा तथा पट्टाधारक की ऐसी चूक, खनन पट्टा विलेख की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा।

8. खनन कार्य करने के दौरान यदि कोई अन्य खनिज/उपखनिज प्राप्त होता है तो उसकी सूचना पट्टाधारक तत्काल जिला कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (उ0प्र0) के क्षेत्रीय कार्यालय एवं निदेशालय को देगा।

9. ब्लास्टिंग का लाइसेंस प्राप्त किये बिना खनन कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग प्रतिबन्धित होगा।

10. पट्टाधारक नियमानुसार माइन्स मैनेजर, ब्लास्टिंग हेतु तकनीकी ब्लास्टर आदि की नियुक्ति करके विभाग को सूचित करेगा तथा माइन्स एक्ट, 1952 एवं मेटलीफेरस माइन्स रेगुलेशन, 1961 के अनुसार नियुक्त माइन्स मैनेजर, ब्लास्टर आदि के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के निर्देशों का पालन करेगा।

11. खनन कार्य कुशल कारीगरों द्वारा कराया जाना होगा तथा खनन संक्रियाओं में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा उपकरण यथा–हेलमेट, जूता, चश्मा, मास्क, सेफ्टी बेल्ट आदि उपलब्ध कराये जाने होंगे।

......13...

Anju Rai

Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

10,000 रु साईं बाबा स्टोन क्रशर ...

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

AR 886449

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13)

12. पट्टाधारक को पट्टाकृत क्षेत्र में खनिज के समुचित विकास हेतु वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा हेतु खनिज/उपखनिज का खनन व निकासी करने के उपरांत क्षेत्र का समतलीकरण कर वहाँ वृक्षारोपण करना होगा।

13. खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर बोल्डर के परिवहन हेतु ट्रैक्टर–ट्राली का प्रयोग नहीं करेगा बल्कि इसके स्थान पर टीपर का प्रयोग करेगा।

14. स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी काश्तकार/काश्तकारों के संक्रमणीय/असंक्रमणीय अधिकार वाली भूमि का कोई अंश पड़ने की दशा में ऐसे काश्तकार/काश्तकारों से लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही उनके अंश की भूमि में पट्टाधारक खनन कार्य प्रारम्भ करेगें।

15. खनन पट्टे पर प्रस्तावित एवं मौके पर उपलब्ध क्षेत्र में यदि कमी पायी जाती है तब मौके पर उपलब्ध क्षेत्र के लिए खनन पट्टा विलेख निष्पादित किया जायेगा।

16. स्वीकृत क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाने के बाद ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। स्वीकृत क्षेत्र में सीमा स्तम्भ एवं साइन बोर्ड, जिसमें पट्टे से सम्बन्धित अंकित विवरण पठनीय, तथ्यपरक, सुस्पष्ट होने चाहिए, जिसका अनुरक्षण पट्टाधारक करता रहेगा।

17. खनन पट्टा स्वीकृति के पश्चात भविष्य में वन विभाग या किसी अन्य विभाग द्वारा शर्तो के विपरीत कार्य करने के कारण आपत्ति किये जाने पर उक्त नियमावली 1963 के नियम 60 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।

......14...

Anju Rai

Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

1000) मे० साईं बाबा स्टोन क्रेशर बिल्ली मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
23.5.2016

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AR 886450

(14)

18. पट्टाधारको को, क्षेत्र में आंकलित मात्रा के सापेक्ष ही प्रपत्र एम0एम0–11 की आपूर्ति की जायेगी।

19. पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र तक पहुँच मार्ग स्वयं के व्यय पर बनाया जायेगा। यदि खनिजों के परिवहन हेतु किसी काश्तकार की भूमि से होकर रास्ते का निर्माण किया जाता है तो सम्बन्धित काश्तकार की लिखित सहमति सम्बन्धी अभिलेख जिला क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रास्ते के निर्माण में होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

20. खनन स्थल से निकाले गये खनिज पदार्थ का अभिवहन वन विभाग की लिखित सहमति के बिना वन मार्ग से नहीं किया जायेगा।

21. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि के बाहर कोई अवैध खनन पाये जाने पर उक्त नियमावली 1963 के नियम 60 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।

22. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर किसी प्रतिबन्धित क्षेत्र(यदि कोई हो) में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रतिबन्धित क्षेत्र में खनन पाये जाने पर नियमानुसार खनन पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

23. मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ तथा अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करना होगा।

......15...

Anju Rai

Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

२९ 1000) से लाई बाबा इस्टेज बक्ति बिल्ली गाछुअठी सोतिया

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
23-5-2016

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 886451

(15)

स्टाम्प शुल्क-

दस वर्षों में देय कुल अपरिहार्य भाटक की धनराशि रू0 41,16,000.00 एवं प्रतिभूति के मद में जमा धनराशि रू0 1,02,900.00 पर देय स्टाम्प शुल्क की कुल धनराशि रू0 1,69,000--00 है।

.....16....

Anju Rai

Shabnam Perveen

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

1000) मै० साईं बाबा स्टोन क्रशर बिल्ली मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
23-5-2016

गवाह

Registration No.: 4446 Year : 2016 Book No : 1

W1 धीरज राय

बशिष्ट राय

क्वा0नं0-5B-6 ओबरा कालोनी, ओबरा-सोनभद्र

कृषि

W2 सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय

उमाकान्त देव पाण्डेय

लसड़ा पर0विजयगढ़ तह0रा0गंज-सोनभद्र

कृषि

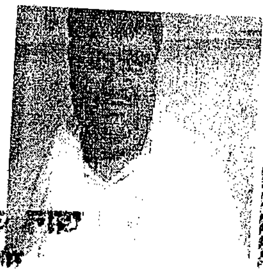

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AR 886452

(16)

इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन पत्र एतदधीन आयी हुई रीति से उपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से–

1. श्री आर० पी० सिंह खान अधिकारी सोनभद्र — खान अधिकारी सोनभद्र

2. श्री राजेश कुमार राय, वरि० लिपिक — राजेश कुमार राय वरिष्ठ लिपिक

3.

की उपस्थिति में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित:–

जिलाधिकारी सोनभद्र

जिलाधिकारी, सोनभद्र।

1. देवेन्द्र प्रसाद पुत्र- स्व० त्रिभुवन प्रसाद शिव नगर कालोनी म०नं०-20/177 ओबरा सोनभद्र

2.

Anju Rai

Shabnam Perveen

की उपस्थिति में पट्टेदार द्वारा हस्ताक्षरित :–

पट्टाधारक का हस्ताक्षर

[illegible] 536 ओबरा

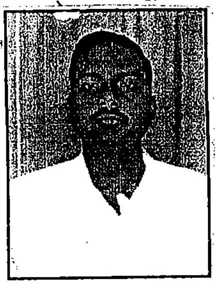

[illegible]

1000) रु० लाई बाबा स्टेट बनले बिल्ली आइकुली सो भ

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
23.5.2016

आज दिनांक 02/06/2016 को

बही सं 1 जिल्द सं 4847

पृष्ठ सं 287 से 318 पर कमांक 4446

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव

उप निबन्धक

राबर्टसगंज

2/6/2016

Annexure CC

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

CC

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक– 1876 /खनिज/ख0प0–जी0पी0एस0 रीडिंग/2020–20 दिनांक– 16 /09/2020

विषय :– गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) के स्वीकृत खननपट्टा क्षेत्र से सम्बन्धित जी0पी0एस0 रीडिंग उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

मे0 साई बाबा स्टोन वर्क्स
पा0– श्रीमती अंजू राय पत्नी श्री धीरज राय
निवासिनी ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी, जनपद– सोनभद्र एवं
श्रीमती शबनम परवीन पत्नी श्री नीसार अहमद
निवासिनी– प्रीतनगर, चोपन, जनपद– सोनभद्र।

उपर्युक्त विषयक अपने दिनांक रहित प्रार्थना–पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद– सोनभद्र, तहसील– राबर्ट्सगंज, ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी स्थित आ0सं0– 5414ग, रकबा– 3.43 एकड़ क्षेत्र पर आपके पक्ष में स्वीकृत गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) के स्वीकृत खननपट्टा क्षेत्र से सम्बन्धित जी0पी0एस0 रीडिंग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 15.09.2020 द्वारा प्राप्त जी0पी0एस0 रीडिंग का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम व पता	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का जी0पी0एस0 रीडिंग
				दिनांक से	दिनांक तक	
1	2	3	4	5	6	7
1.	मे0 साई बाबा स्टोन वर्क्स पा0– श्रीमती अंजू राय पत्नी श्री धीरज राय निवासिनी ग्राम– बिल्ली मारकुण्डी, जनपद– सोनभद्र एवं श्रीमती शबनम परवीन पत्नी श्री नीसार अहमद निवासिनी– प्रीतनगर, चोपन, जनपद– सोनभद्र।	5414ग	3.43	31.05.2016	30.05.2026	A- 24°28'43.36" N, 83°00'28.39" E B- 24°28'43.25" N, 83°00'29.38" E C- 24°28'42.10" N, 83°00'30.18" E D- 24°28'39.51" N, 83°00'28.86" E E- 24°28'39.14" N, 83°00'24.62" E F- 24°28'41.47" N, 83°00'23.31" E G- 24°28'41.53" N, 83°00'25.68" E H- 24°28'43.01" N, 83°00'25.01" E I- 24°28'42.79" N, 83°00'25.70" E J- 24°28'41.91" N, 83°00'26.44" E K- 24°28'41.75" N, 83°00'26.56" E L- 24°28'42.90" N, 83°00'28.01" E

16/9/2020

(मो0 महबूब)
जिला खान अधिकारी,
सोनभद्र।

सत्यमेव जयते

Annexure C7
C7

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09ADFFS0408N2ZT

1.	**Legal Name**	SAI BABA STONE WORKS
2.	**Trade Name, if any**	SAI BABA STONE WORKS
3.	**Constitution of Business**	Partnership
4.	**Address of Principal Place of Business**	PREET NAGAR, CHOPAN, SENDHUARI, Sonbhadra, Uttar Pradesh, 231205
5.	**Date of Liability**	08/02/2022
6.	**Period of Validity**	From 08/02/2022 To Not Applicable
7.	**Type of Registration**	Regular
8.	**Particulars of Approving Authority**	Uttar Pradesh

Signature	Signature Not Verified Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK(4) Date: 2022.02.09 13:15:33 IST
Name	SHIV KUMAR SINGH
Designation	Assistant Commissioner
Jurisdictional Office	Sonbhadra Sector-2
9. Date of issue of Certificate	09/02/2022

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 09/02/2022 by the jurisdictional authority.

Annexure A

सत्यमेव जयते

GSTIN	09ADFFS0408N2ZT
Legal Name	SAI BABA STONE WORKS
Trade Name, if any	SAI BABA STONE WORKS

Details of Additional Places of Business

Total Number of Additional Places of Business in the State 1

Sr. No.	Address
1	., BILLI MARKUNDI, OBRA, Sonbhadra, Uttar Pradesh, 231219

Annexure B

सत्यमेव जयते

GSTIN	09ADFFS0408N2ZT
Legal Name	SAI BABA STONE WORKS
Trade Name, if any	SAI BABA STONE WORKS

Details of Managing / Authorized Partners

1

Name	SABANAM PARAVEEN
Designation/Status	PARTNER
Resident of State	Uttar Pradesh

2

Name	ANJU RAI
Designation/Status	PARTNER
Resident of State	Uttar Pradesh

GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)
Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh

Annexure C 8

Form 8 (C)

[See Rule 8(1)]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW / EXISTING WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO: NOC022406

VALID FROM 25/09/2023 TO 24/09/2028

{UIS10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

Registration No.: 202306001300

Name of the Owner	ANJU RAI		
Company Name **कंपनी का नाम**	Ms Sai Baba Stone Works	**Company Address** **कंपनी का पता**	Vill - Billi Markundi, , Obra, Sonbhadra
Address of the Applicant	NEW COLONY KHERATIYA	**Application No.**	SNBD0623NIN0084
Date of Submission	27/06/2023	**Specimen Signature**	

Location Particulars

District	Sonbhadra	**Block**	CHOPAN
Plot No./Khasra No.	5414GA	**Municipality/Corporation**	No
Ward No./Holding No.			NA

Particular of the Proposed Well and Pumping Device

Date of Construction/Sinking of the Well	31/07/2023		
Type of Well	Tube Well/Boring	**Depth of the Well (In meter)**	80.00
Purpose of well	Industrial	**Assembly Size(For Tube Well)**	
Strainer Position (For Tube Well)			
Type of Pump Used	Submersible	**H.P. of the Pump**	2.00
Operational Device	Electric Motor	**Rate of Withdrawal (m^3/hr.)**	4.00
Date of Energization (In Case of Electric Pump)		05/08/2023	
Maximum Allowable Rate of Withdrawal (m^3/hr.):	4.00	**Maximum Allowable Running Hours Per Day:**	3.00
Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:	3600	**Recharge Required**	1800.00

- This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at Sl. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at Sl. (3j), for Running Hours per day as shown at Sl. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at Sl. (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.
- Holder of this NOC is hereby directed to assure annual recharge of 1800.00 cubic meter, as specified under the application form within the given time period.

GENERAL CONDITIONS:

- Holder of this NOC is hereby directed to fill from 1(A) for registering his/her well within 90 days as mentioned in application form shall only started after registration of his/her NOC.
- In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- All Users abstracting ground water in excess of 100 m3/d shall be required to submit impact assessment report prepared by an accredited consultant from CGWA and National Accreditation Board for Education and Training (NABET). The report should highlight environmental risks and proposed management strategies to overcome any significant environmental issues such as ground water level decline, land subsidence etc. within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. The list of accredited Individuals/ Institutions is available on the official web-portal of CGWA.
- For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix digital water flow meters (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well shall not exceed to the recorded rate from water meters
- The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands
- In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage , this registration is liable for cancellation.
- The Certificate of Authorization/ NOC shall be valid for a period of five years from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.
- Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis
- **Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring**

  Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing when ever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

  - The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
  - The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
  - No. of piezometers to be constructed & Type of water level monitoring mechanism shall be as per below table:

S.No	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No.of piezometers required	Monitiring Mechanism	
			Manual	DWLR with Telemetry
1	< 10	0	0	0
2	11 - 50	1	1	0
3	50- 500	1	0	1
4	> 500	2	0	2

  - The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
  - For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
  - The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
  - All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
  - The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
  - A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
  - Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care of.
- Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.

- **SPECIFIC CONDITIONS:**
- **(A) For Industrial User:** No Objection Certificate for ground water extraction by industries shall be granted subject to the following specific conditions:
- i) No Objection Certificate shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.
- ii) All industries shall be required to adopt latest water efficient technologies so as to reduce dependence on ground water resources.
- iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m^3/d shall be required to undertake annual water audit through Confederation of Indian Industries (CII)/ Federation Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)/ National Productivity Council (NPC)/ PHD Chamber of Commerce & Industries / Laghu Udyog Bharati certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next five years through appropriate means.
- iv) Construction of observation well(s) (piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in General Condition no.10 shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10 m^3 /day of ground water and. Monitoring of water level shall be done by the project proponent. The piezometer (observation well) shall be constructed at a minimum distance of 50 m from the bore well/production well. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/ wells. Monthly water level data shall be submitted online to the Ground Water Department, UP.
- v) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises. Industries which are likely to pollute ground water (chemical, pharmaceutical, dyes, pigments, paints, textiles, tannery, pesticides/ insecticides, fertilizers, slaughter house, explosives etc.) shall store the harvested rain water in surface storage tanks for use in the industry.
- vi) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.
- vii) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution.
-
- **(B) Infrastructural User:** The No Objection Certificate for ground water abstraction will be granted subject to the following specific conditions:
- i) In case of infrastructure projects that require dewatering, proponent shall be required to carry out regular monitoring of dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) and submit the data online to Ground Water Department, UP as applicable. Monitoring records and results should be retained by the proponent for two years, for inspection or reporting as required by District Ground Water Management Council.
- ii) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground water requirement is more than 20 m^3 /day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc

Date :**27/09/2023**

Place:**Sonbhadra**

This certificate is electronically generated and does not require digital signature